

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023”

पीठासीन अधिकारी- अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
16 / 2023

दायर दिनांक
31.03.2023

निर्णय दिनांक
14.06.2023

अनवान

1. कालुलाल पिता रूपा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पिता रूपा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. चतरभुज पिता देवा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

— अप्रार्थी

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम ::-

—:: निर्णय ::-

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थीगण ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, व अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 1520 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 1720/1524 रकबा 0.16 है0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थी प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074-2077 तक प्रस्ताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 171 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 1520 रकबा 0.72 है0, आराजी संख्या 1720/1524 रकबा 0.16 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन